राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

पत्रांक-BSU(Directive)-08/2023- 487 /रा०स०(I), दिनांक- 03/04/23

प्रेषक,

प्रवीण कुमार गुप्ता, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव

सेवा में,

कुलपति
बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय

विषयः- **विश्वविद्यालय में गठित 'पेंशन कोषांग' के द्वारा सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में सेवान्त लाभ आदि के भुगतान के मामले काफी लम्बी अवधि तक लम्बित रहते हैं । इस पर माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अप्रसन्नता प्रकट करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निदेश देने की कृपा की गई है कि विश्वविद्यालयन्तर्गत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरान्त परिलब्धियों की गणना उनके सेवानिवृत्ति से दो माह पूर्व सुनिश्चित किया जाय, ताकि सेवानिवृत्ति के पश्चात् तत्काल उन्हें सेवान्त परिलब्धियों का भुगतान किया जा सके ।

2. साथ ही निदेशित किया जाता है कि 'पेंशन कोषांग' के नोडल पदाधिकारी, विश्वविद्यालय में पेंशन संबंधित लंबित मामलों का आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर निष्पादन करना सुनिश्चित करें ।

3. नोडल पदाधिकारी, पेंशन कोषांग को विश्वविद्यालयन्तर्गत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचाारियों के सेवान्त लाभ आदि के भुगतान से संबंधित मामलों की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन इस सचिवालय को प्रतिदिन ई-मेल के माध्यम से ss.gs-bih@nic.in पर संलग्न विहित प्रपत्र (Excel Format) में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

अनु०:-यथा उपरोक्त ।

ह०/-

(प्रवीण कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- BSU(Directive)-08/2023- 487 /रा०स०(I), दिनांक- 03/04/23

प्रतिलिपिः-बिहार के सभी विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी, पेंशन कोषांग/ कुलसचिव/ वित्त परामर्शी/ वित्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

संयुक्त सचिव

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800 022

ज्ञापांक- BSU(Directive)-08/2023- 487 /रा०स०(I), दिनांक-03/04/23

प्रतिलिपिः- विशेष पदाधिकारी (वि.वि.) / प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ / सहायक निदेशक (NIC) को राज्यपाल सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित / गार्ड फाईल ।

03/4/2023

संयुक्त सचिव